यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - II, राज्य कर, रूद्रपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - II, राज्य कर, रूद्रपुर के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि भूषण, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.02.2019 से 16.02.2019 तक श्री एन.के. सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री कलवंत सिंह श्री डी.के.श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.01.2018 से 09.02.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	11542.35
2016-17	13682.89
2017-18	9748.34

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)		व्यय राशि (₹)		अवशेष/समर्पण (₹)	
	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
2015-16						
2016-17			N.A			
2017-18						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में निर्माता एवं ट्रेंडर्स को आच्छादित किया गया है यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - II, राज्य कर, रूद्रपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व:- **---------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

व्यय:- **------ को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(ब)

प्रस्तर स-02 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹5.99 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्योवाहरी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.)-2, राज्य कर, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 01 व्यापारी द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि **₹59,90,339** /- को विलंब से जमा किया गया था|(विवरण संलगन)

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से नियामानुसार **₹5,99,034**/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कर अवगत कराने का आश्वासन दिया गया|

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

<u>संलग्नक</u>

क्र स.	व्यौहारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की देय तिथि	कर जमा करने की तिथि	कर की धनराशि (Rs)	न्यूनतम आरोपणीय अर्थदण्ड (Rs) @ 10%
1.	**सर्वश्री रेडी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड टिन: 05010022453**	2014-15	04/2014	20.05.2014	24.05.2014	2000000	200000
			04/2014	20.05.2014	27.05.2014	2000000	200000
			04/2014	20.05.2014	27.05.2014	1892954	189295.4
			03/2015	20.04.2015	23.04.2015	29449	2944.9
			03/2015	20.04.2015	23.04.2015	67936	6793.6
		TOTAL				**5990339**	**599033.9**

भाग 2 (ब)

प्रस्तर -01 कर का अनारोपण ₹2.20 लाख |

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओ की बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.)-2, राज्य कर, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री आर. के. फैसिलिटी मैनेजमेंट, रुद्रपुर कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के वाद में व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में ₹16,34,045/- की बटर, क्रीम व बिस्कुट का प्रान्तीय क्रय किया गया जिसपर व्यापारी द्वारा 13.5% की दर से ITC का दावा किया गया था| संगत वर्ष की पत्रावली की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि उक्त की बिक्री पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर आरोपित नहीं किया गया था| इस प्रकार उक्त की बिक्री पर 13.5 % की दर से ₹ 2,20,596/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कर अवगत कराने का आश्वासन दिया गया|

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

भाग 2(अ)

प्रस्तर -01 कर का न्यूनारोपण ₹ 5.16 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(e) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल की बिक्री पर करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गयी है|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –2 राज्य कर, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री संधु इंटरप्राइजेज, रुद्रपुर कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा संगत वर्ष में **Aluminum Parts (Heat Sink)** के बिक्री **₹ 60,75,273**/- की प्रदर्शित करते हुए उस पर 5% की दर से कर देयता स्वीकार की गई थी| क्योंकि उक्त वस्तु उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नही थी अत: उक्त वस्तु की बिक्री पर 8.5% की अन्तरीय दर से ₹ 5,16,398/- के कर का न्यूनारोपण हुआ। आगे, इस पर नियमानुसार ब्याज देय था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि **Heat Sink** एल्युमीनियम शीट से तैयार किया जाता है और इसको **U.P.S** की गर्मी को ठंडा करने के लिए लगाया जाता है| अत: यह U.P.S का पार्ट है। U.P.S पर 5% की दर से कर देयता बनती है| अत: आपति निक्षेप योग्य है|

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि व्यौहारी द्वारा UPS व इसके पार्ट्स की खरीद बिक्री नहीं की जा रही थी व्यापारी का व्यापार ऑटो पार्ट्स की खरीद व बिक्री का था|

प्रकरण शासन / विभाग को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया गया|

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या
CT-42/2005-06	01,02	01
CT-4/2007-08	-	01,02
CT-34/2008-09	-	01,03
CT-27/2009-10	01,02,03	01,03,04
CT-50/2012-13	-	04
CT-28/2013-14	-	03
CT-51/2014-15	01,02	01,02,03,04
CT-35/2015-16	01,02,03,04,05,06,07,08	01
CT-10/2016-17	01,03	03,04,05,06
CT-42/2017-18	-	01,02,03

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोतम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - II, राज्य कर, रूद्रपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्रीमती मोहीता भण्ड़ारी	(उपायुक्त)
2	श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह	(उपायुक्त)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - II, राज्य कर, रूद्रपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र